सार-समाचार

सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते तीन आरोपी गिरफ्तार

टोंक(निसं)। जिला पुलिस कप्तान रोशन मीना के निर्देशन में अवैध जुआ-सट्टा के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वृताधिकारी निवाई रविप्रकाश शर्मा के सुपरविजन में निवाई थानाधिकारी घासीराम द्वारा गठित पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए निवाई क्षैत्र के सब्जी मण्डी निवाई के पास सार्वजनिक जगह पर रुपयों-पैसो का दांव लगाकर ताश पत्ती खेलते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से जुआ राशि 7 हजार 100 रूपये जप्त की गई। इस कार्यवाही में आरोपी पप्पू पुत्र बजरंगा गाडिया लुहार, चन्दन प्रकाश सैनी पुत्र जगदीश नारायण, एवं लाल चन्द माली पुत्र बजरंग लाल को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ आरपीजीओ एक्ट मे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

नाले की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष

मनोहरपुर (निसं)। खोरा लाड़खानी ग्राम पंचायत एक बार फिर साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर विवादों में घिर गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा साफ-सफाई के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बदहाल बनी हुई है। इस दौरान बजरंग सिंह ने बताया कि हाल ही में ग्राम पंचायत खोरा लाड़खानी में लगे शिविर में उपखंड अधिकारी को भी इस समस्या को लेकर अवगत कराया गया था। ग्रामीणों के अनुसार मस्जिद के पीछे मंगरा की ढाणी क्षेत्र में करीब 700 मीटर लंबा और लगभग 4 फीट चौड़ा नाला बनाया गया था, जिससे पूरे गांव के पानी की निकासी होती है। लेकिन वर्षों से नाले की सफाई नहीं होने के कारण उसमें गंदगी और झाड़ियां भर गई हैं, जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण बजरंग सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 15 वर्षों से इस नाले की समुचित सफाई नहीं करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 7 जुलाई को भी ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया था, लेकिन सरपंच ईश्वरचंद जाट द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के रिकॉर्ड में साफ-सफाई के कार्य दर्शाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। बरसात के मौसम में नाले की सफाई नहीं होने से जलभराव और गंदगी की समस्या बढ़ने लगी है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा नाले की तत्काल सफाई कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो पंचायत के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।

धरपकड अभियान के तहत दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में चलाये जा रहे विशेष अभियान अपराधियों की धरपकड के तहत पीपलू थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लड़ाकू अपराधियों को अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर पीपलू थाने में दर्ज चोरी के प्रकरण में 6 साल से फरार स्थाई वारंट्टी राकेश खन्ना पुत्र रामा बावरी उम्र 35 साल निवासी झूले वाली बस्ती सवाईमाधोपुर को जिला सवाईमाधोपुर से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में अन्य टीम ने अवैध बजरी खनन व परिवहन में संलिप्त दो माह से फरार थाना स्तरीय टॉप 10 अभियुक्त भोजराज गुर्जर पुत्र रामनिवास उम्र 26 साल निवासी किशनपुरा थाना पीपलू को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार झिराना पुलिस टीम ने बुधवार रात्रि को पांसरोटिया मोड से अवैध चैजा पत्थर भरकर परिवहन करते हुये एक डम्पर जब्त किया गया।

हाई वोल्टेज ड्रामे पर प्रशासन का ब्रेक, टंकी पर चढ़े तो सीधे मुकदमा

लालसोट (निसं)। पानी की टंकियों को विरोध प्रदर्शन का मंच बनाने वालों पर अब प्रशासन का डंडा चलेगा। हाल ही में क्षेत्र में सामने आए मामलों के बाद एसडीएम विजेंद्र मीणा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टंकी पर चढ़कर दबाव बनाने या हंगामा करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे घटनाक्रमों के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की तैनाती पर होने वाले खर्च की वसूली भी संबंधित प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत, पारिवारिक या अन्य विवादों को लेकर टंकी पर चढ़ना कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे मामलों में प्रशासन का पूरा अमला अन्य जरूरी कार्य छोड़कर मौके पर लगाना पड़ता है। इसे देखते हुए जलदाय विभाग को टंकियों की सुरक्षा मजबूत करने और किसी भी व्यक्ति के चढ़ने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रामलाल शर्मा के जन्मदिवस पर उमड़ा सेवा का सैलाब

चौमूं/कालाडेरा (निसं)। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के जन्मदिवस के पावन अवसर पर शुरू हुआ "गौ सेवा सप्ताह" निरंतर अपने सेवा पथ पर अग्रसर है। इस अनूठी और सेवाभावी पहल के अंतर्गत गुरुवार को गौ माता के ग्रास के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से 8 चारे की पिकअप गाड़ियां विभिन्न गोशालाओं के लिए भेंट की गईं। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने क्षेत्र में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में उपस्थित होकर चारे से भरी इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और गोशालाओं के लिए रवाना किया। उल्लेखनीय है कि गौ माता की सेवार्थ इस ऐतिहासिक गौ सेवा सप्ताह का शुभारंभ प्राचीन श्री गढ़ गणेश जी मंदिर, चौमूं से किया गया था। इस सात दिवसीय सेवा संकल्प के तहत प्रतिदिन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न गोशालाओं में गौ सेवा के अनेकों कार्य पूरी श्रद्धा के साथ किए जा रहे हैं। गुरुवार को इस अभियान के तहत शिव चारा मंडी गोविंदगढ़, शिव चारा मंडी हाड़ौता, थाना मोड़ चौमूं, कानरपुरा गौशाला, भूतेडा गौशाला, स्याऊ गौशाला और श्री वीर तेजाजी गौशाला, सान्दरसर में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने इन सभी स्थानों पर पहुँचकर गौ माता की सेवा की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देते हुए गोशाला परिसरों में पेड़ भी लगाए और उपस्थित कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को इन पौधों की देखभाल करने का संकल्प दिलाया।

कलेक्टर ने जिले के सरकारी व निजी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों का जायजा लिया

- 10 करोड़ रूपये राशि से तीन सौ से अधिक भवनों की हुई मरम्मत, स्वीकृत शेष कार्यों को यथाशीघ्र करावे पूर्ण
- मरम्मत के उपरान्त सुरक्षित पाए जाने पर ही करें भवनों का उपयोग - जिला कलक्टर

जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

अलवर(निसं)। जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला शहर के विकास और जन समस्याओं को लेकर चिंतित रहती है लेकिन उन्हें नही पता कि पुराने शहर के वाशिंदे किस प्रकार डर कर रोड पर चल रहे है यहां कोर्ट रोड, सर्राफा बाजार, बाजाजा बजार, गायत्री मंदिर रोड, पुलिस लाईन रोड और गली मौहल्ले सीवर डालने के नाम पर खुदे पडे है जो बारिश के दिनों में जान लेवा साबित होने वाले है इन गड्डो को बंद करने और टूटी सडको को दुरस्त कराने के लिए कोई संज्ञान प्रशासन क्यों नही ले रहा यह एक सोचनीय प्रशन बना हुआ है।

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जिले में असुरक्षित, जर्जर एवं क्षितग्रस्त भवनों के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को असुरक्षित भवनों को जमींदोज एवं क्षितग्रस्त भवनों की आवश्यकतानुरूप मरम्मत करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने जिले के सरकारी व निजी जर्जर एवं क्षितग्रस्त भवनों के संबंध में बिन्दुवार समीक्षा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि आगामी 5 दिवस में जिले के सभी सरकारी स्कूलों व चिकित्सा विभाग के भवनों के साथ अन्य विभागों के भवनों की नवीन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सर्वे रिपोर्ट में सार्वजनिक निर्माण विभाग व संबंधित विभाग संबंधित भवन के स्थाई व वैकल्पिक समाधान का भी स्पष्ट उल्लेख करें।

उन्होंने कहा कि जिले में 10 करोड़ रूपये की राशि से तीन सौ से अधिक भवनों की मरम्मत कराई गई है। इसी प्रकार जिन भवनों व कक्षों की राशि स्वीकृत हो चुकी है, उनके मरम्मत के कार्य को गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करावे। नवीनतम सर्वे के उपरान्त क्षितग्रस्त भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि इसी प्रकार नगरीय निकाय क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग से समन्वय कर सरकारी व निजी जर्जर व क्षितग्रस्त भवनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इन क्षेत्रों के सरकारी भवनों को संबंधित विभाग मरम्मत व जमींदोज आदि की कार्यवाही करे। साथ ही असुरक्षित, जर्जर व क्षितग्रस्त निजी भवनों के भवन मालिकों से रिपोर्ट के अनुरूप मरम्मत व जमींदोज आदि की कार्यवाही नोटिस जारी कर करावे। नोटिस जारी करने के उपरान्त जिन निजी भवन मालिकों के द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जर्जर एवं गिराऊ भवन को जमींदोज नहीं करने पर संबंधित विभाग द्वारा जर्जर व गिराऊ भवन को नागरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जमींदोज की कार्वाई की जावे तथा इसमें आने वाले समस्त खर्च को शास्ति के साथ भवन मालिक से वसूला जावे। जिला कलक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं सीएमएचओ को निर्देशित किया कि अंतिम सर्वे रिपोर्ट के उपरान्त जर्जर व असुरक्षित पाए गए भवनों में विद्यालय व कार्यालयों का संचालन नहीं किया जावे। इसी प्रकार जिस विद्यालय एवं चिकित्सालय व अन्य भवन का कोई कक्ष या कोई हिस्सा असुरक्षित व जर्जर है तो उस पर असुरक्षित होने का कागज चस्पा कर बन्द किया जावे। इनका उपयोग नहीं लिया जावे तथा इसके आसपास बैरिकेटिंग आदि भी की जावे। जिन भवनों व कक्षों की मरम्मत की जा चुकी है उनकी पुन: जांच कर उपयोग में लेवे। आंशिक रूप से क्षितग्रस्त भवनों की मरम्मत कराई जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की जांच के उपरान्त उन भवनों व कक्षों का भी उपयोग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी सरकारी भवनों की छतों की साफ-सफाई कराई जावे। साथ ही भवन व भवन के आसपास जलभराव नहीं होवे। जल भराव होने की स्थिति में उसकी निकासी तुरन्त सुनिश्चित कराई जावे। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया कि जिले में सडक व आम रास्ते क्रॉस करने वाली विद्युत लाइन पैरामीटर के अनुसार निर्धारित ऊंचाई पर सुनिश्चित करावे।

मण्डी प्रशासन ने सूचना मांगी

निवाई (निसं)। कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई द्वारा आमजन व किसानों के लिए एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। मण्डी सचिव डॉ. कमलकिशोर सोनी ने बताया कि किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद चौधरी द्वारा आरोप लगाया गया है कि निवाई मण्डी परिसर में एक फर्जी पुलिस चौकी खोली गई है। इस फर्जी पुलिस चौकी के माध्यम से मण्डी में आने वाले सीधे-साधे किसानों को डराया-धमकाया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को औने-पौने एवं मनमाने दामों पर अपनी कृषि उपज बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे किसानों का आर्थिक व मानसिक शोषण हो रहा है। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए मण्डी समिति सचिव डॉ. कमलकिशोर सोनी ने आवश्यक सूचना जारी करते हुए सर्वसाधारण एवं विशेषकर किसानों को सूचित किया है कि मण्डी प्रांगण के भीतर कम्प्यूटर, जनरेटर कक्ष में पुलिस कर्मियों के बैठने के लिए एक कक्ष आरक्षित किया गया।

किशनगढ़ बास पंचायत में सहमति से जमीन का बंटवारा हुआ

जमीन बंटवारे पर खातेदारो ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

जयपुर, (निसं)। खैरथल-तिजारा जिले की किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ईस्माईलपुर में लगा ग्रामीण सेवा शिविर काश्तकार रोशन लाल पुत्र कुन्दन लाल एवं श्री भौरे लाल पुत्र मंगू लाल जाति जाटव निवासी ग्राम ईस्माईलपुर के लिए खुशियां लेकर आया।

इन दोनों ने खैरथल उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के समक्ष अपने आराजी खसरा नम्बर 1635, 1638, 1642, 1679, 1686, 1687 ग्राम ईस्माईलपुर का सहमति से विभाजन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। दोनों ने बताया कि आपस में सहमति नहीं बनने के कारण विभाजन संभव नहीं था लेकिन शिविर से पहले पटवारी ने आकर हमें समझाया और रिश्तेदारों ने भी प्यार से बंटवारे की बात कही जिससे आगे कभी विवाद न हो तो हम विभाजन के लिए सहमत हो गये हैं। इस जमीन का बंटवारा कर दो।

तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक व हलका पटवारी ने आवेदकों की सहखातेदारी भूमि का मौका निरीक्षण कर उनके बताये अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। मौके पर ही खैरथल तहसीलदार ने विभाजन के आदेश किये। इस पर उक्त दोनो खातेदारो काश्तकारों के चेहरे खिल उठे एवं खातेदारो ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

ग्राम पंचायत मीरका में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया

नि:शुल्क विधिक सहायता शिविर में 25 ग्रामीण लाभान्वित हुए।

किशनगढ़ बास (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल के निर्देश पर ग्राम पंचायत मीरका के टोहरी और मीरका गांव में नालसा योजना के तहत कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। पीएलवी किरण कुमारी आर्य और मनीष कुमार ने महिलाओं-बच्चों को उनके अधिकारों व नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। शिविर में 25 ग्रामीण लाभान्वित हुए।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास के आदेश एवं सचिव अजीत कुड़ी के निर्देशन में यह शिविर आयोजित हुआ। पीएलवी किरण कुमारी आर्य ने ग्राम टोहरी तथा पीएलवी मनीष कुमार ने ग्राम मीरका में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत शिविर लगाया। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें उपलब्ध नि:शुल्क कानूनी सहायता की जानकारी देना था। कार्यक्रम में महिला संरक्षण कानूनों, मानव तस्करी से संबंधित कानूनी प्रावधानों, पीड़ितों के अधिकारों तथा नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशाला

कोटपूतली, (निसं)। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय एक दिवसीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन गुरूवार को यहां के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विधालय के सभागार में किया गया। कार्यशाला में जिले भर से आये प्रगतिशील किसानों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों, पद्धितयों एवं लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया

पंचायत समिति में मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए मंत्रालयिक कर्मचारी।

निवाई(निसं)। पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पंचायती राज विभाग द्वारा अपनाए जा रहे कथित पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मौलिक अधिकारों से युक्त विभिन्न मांगों को लंबे समय से लंबित रखा गया है, जिससे मंत्रालयिक कर्मचारियों में भारी निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने पंचायत समिति परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ का सामूहिक आयोजन किया, जिसके माध्यम से सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि आने तथा कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की प्रार्थना की गई। संगठन द्वारा विभाग को अंतिम चेतावनी नोटिस सौंपते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में आर-पार के उग्र आंदोलन की रूपरेखा से भी अवगत करवाया। संघ के अध्यक्ष प्रेमचन्द माली, संरक्षक शिवदयाल बैरवा, महामंत्री सुनिलकुमार गुर्जर व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि संगठन की मांग है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों का पंचायतों के लेखों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तरीय कर्मचारियों की समकक्षता के अनुसार समान अधिकारों के साथ जॉब-चार्ट तय कर उसे नियमों में व्यवस्थित करना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पंचायत लेखों में वर्तमान में संचालित सिंगल ओटीपी व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए और वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार लेखों में मेकर, चेकर एवं अप्रूवर की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों में ग्राम सेवक का पदनाम बदला गया है, उसी तर्ज पर मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के लिए भी नीतिगत निर्णय लेकर पूर्ण उत्तराखंड पैटर्न बहाल किया जाए। संवर्ग के लिए 56.01 प्रतिशत पदोन्नित के पदों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कनिष्ठ सहायक की न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता को राजस्थान विधानसभा की तर्ज पर स्नातक किया जाए और स्टेट पेरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 रुपए निर्धारित की जाए। समान संवर्ग की भांति कर्मचारियों के लिए भी हार्ड ड्यूटी अलाउसेन्स एवं अतिरिक्त प्रभार भत्ता स्वीकृत किया जाए। ग्राम पंचायतों में पदस्थापित कनिष्ठ सहायकों को अन्य पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने की व्यवस्था को बंद किया जाए।

नम्बर मिलाइए 8890333139

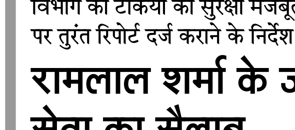

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

चोरी के मामले को लेकर चल रही हड़ताल स्थगित

कोटपूतली, (निसं)। जिला अभिभाषक संघ, स्टाम्प वेण्डर, डीडराईटर्स संघ द्वारा विगत 01 अप्रैल को स्टाम्प वेण्डर कमल कुमार सैनी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने पर विगत 08 जून से चल रहे आंदोलन के तहत सोमवार को तहसील परिसर में क्रमिक अनशन जारी रहा।

जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष बजरंगलाल शर्मा के नेतृत्व में जिला न्यायालय परिसर में भी सभी न्यायालयों का पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान किसी भी न्यायालय, रजिस्ट्रार कार्यालय व सभी कार्यालयों में कोई कार्य अधिवक्ताओं, स्टाम्प वेण्डरो व डीडराईटरों ने नहीं किया, जिसके चलते पूरी न्यायिक प्रक्रिया ठप रही। बाद में जिला अभिभाषक संघ की अध्यक्षता में जिला अभिभाषक संघ कोटपूतली के सभागार में अधिवक्ताओं, डीडराईटर, स्टाम्प वेण्डर व सहयोगी स्टॉफ की आम सभा की गई। जिसमें अध्यक्ष बजरंगलाल शर्मा ने 08 से 15 जून तक की आंदोलन की रिपोर्ट तथा इस दौरान स्टाम्प कमल कुमार सैनी के घर से हुई चोरी की मुकदमे की प्रगति के बारे में सभी सदस्यों को अवगत कराया। शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा की पहल पर जिला पुलिस अधीक्षक ने जिला अभिभाषक संघ कार्यकारिणी व स्टाम्प वेण्डर संघ के अध्यक्ष बलदेव मीणा एवं पीडित स्टाम्प वेण्डर कमल कुमार सैनी से 12 जून को मुलाकात कर मुकदमे की तफतीश व प्रगति के संबंध में कुछ बिन्दू तय किये गये थे। जिसके अन्तर्गत उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी व पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर चोरों को पकड़ने का प्रयास करेगी। इस दौरान पीड़ित चाहे तो पुलिस के साथ कार्यवाही के दौरान रहेगा तथा मुकदमे की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक दो दिन में जिला अभिभाषक संघ कार्यकारिणी को अवगत कराई जावेगी तथा पूरी प्रक्रिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सुपरविजन में होगी। 12 जून को तय किये गये बिन्दुओं के अनुसार पुलिस ने अब तक काम किया है। इसकी अनुशंषा स्टाम्प वेण्डर संघ के अध्यक्ष बलदेव मीणा एवं पीडित कमल कुमार सैनी ने भी सदन को अवगत कराया।

आम सूचना सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्रीमती उर्मिला मीना एवं राम चरण बंजारा ने श्री चाँद चाँदना पुत्र श्री भूराजी, निवासी 69/393, हीरा पथ, वी.टी. सर्किल के पास, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान 302020 से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की आवासीय योजना "पूनम विहार" स्थित जगतपुरा जिला जयपुर राजस्थान में प्लाट नं. 91 कॉर्नर को क्रय किया है किसी व्यक्ति संस्था, वारीसान या किसी अन्य को उक्त प्लाट के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में सूचित करें। 7 दिवस पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
जयपुर — नरेन्द्र मोहन शर्मा, एडवोकेट
दिनांक-18/6/26 — मो.9414322197, 9351169623

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1483 दिनांक-16.06.2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 81/127 (MIG-B), (एरिया 122.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री आशीष सूरी पुत्र श्री महेन्द्र कुमार सूरी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2205 दिनांक 24.03.1994 को जारी किया गया। श्री आशीष सूरी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.12.1994 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री आशीष सूरी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 26.02.2003 के द्वारा श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण श्री वास्तव को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी को दिनांक 15.07.2005 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री मनोज चौधरी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 23.02.2006 के द्वारा 1. श्री प्रेमचन्द पुत्र स्व. श्री गोपीचन्द जैन एवं 2. श्री ऋषभ कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। 1. श्री प्रेमचन्द एवं 2. श्री ऋषभ कुमार जैन द्वारा उक्त आवास को दिनांक 09.01.2007 के द्वारा श्री अशोक पाल शर्मा पुत्र श्री राममेहर शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री अशोक पाल शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 19.10.2023 के द्वारा श्रीमती रेखा पत्नी श्री विकास खींची को विक्रय कर उप पंजीयक-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती रेखा पत्नी श्री विकास खींची द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती रेखा पत्नी श्री विकास खींची का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक प्लाट नम्बर 45 जैन विहार, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्गगज है। यह कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण प्लाट नम्बर 45 मूलरूप से श्रीमती ज्योति शर्मा धर्मपत्नि श्री सुनील कुमार शर्मा को अपोलो नगर हाऊसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर रजिस्ट्रेशन नम्बर 2491/एल से आवंटित हुआ है। यह कि श्रीमती ज्योति शर्मा ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से ऋण हेतु आवेदन भी किया है, यदि उक्त प्लाट नम्बर 45 के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों, संस्था, कम्पनी इत्यादि को किसी भी पकार की आपत्ति, आक्षेप इत्यादि हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिन (सात दिन) की अवधि में मय दस्तावेज एवं लिखित में मुझे सूचित करें, अन्यथा बाद मियाद आपत्ति अमान्य मानी जावेगी।
दिनांक-18/6/26 — शशांक टिक्कीवाल, एडवोकेट
स्थान-जयपुर — 48277/आर/751/2007
राजस्थान हाईकोर्ट, मो. 9166400777

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100674 **लोक सूचना** दिनांक: 16.06.2026
श्री RADHEY SHYAM MALI पुत्र श्री KALYAN MAL जाति MALI निवासी 163/50, Pratap Nagar, R.H.B., Sanganer, Jaipur, PO: Pratap Nagar Sector 11, Dist: Jaipur, RAJASTHAN - 302033 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा स.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	रूपान्तरण क्षेत्र (हैक्ट.)
1	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) राधेश्याम पुत्र कल्याण हिस्सा 45/206 जाति माली सा. देह खातेदार हिस्सा 45/206 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडया शाखा शिवदासपुरा 2.) लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह। खातेदार 3.) हनिनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा 29/103 जाति माली सा. देह। खातेदार	1132	0.23	0.23
		कुल			0.23

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करावें। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16-06-2026 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1499 दिनांक-18.06.2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, योजना में आवास/फ्लैट संख्या 60/60 (MIG-B), का आवंटन श्री कैलाश चन्द्र पारीक पुत्र स्व. श्री उमा शंकर पारीक को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 917 दिनांक 30.06.1999 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 20.09.2002 को कर दिया गया। श्री कैलाश चन्द पारीक द्वारा उक्त आवास को दिनांक 26.05.2026 को श्री गौरव पारीक पुत्र श्री कैलाश चन्द्र पारीक को उपहार कर उनके पक्ष में उपहार पत्र उप पंजीयक (पंचम) जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्री गौरव पारीक पुत्र श्री कैलाश चन्द्र पारीक द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री गौरव पारीक पुत्र श्री कैलाश चन्द्र पारीक का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नाम से पूर्व में नगरपालिका सांभरलेक द्वारा 4 जुलाई 2001 को एक भूखण्ड (क्षेत्रफल 225.88 वर्गगज) वाके घनश्याम दास जी की बगीची सांभरलेक, जिला जयपुर का नाथूलाल के नाम से जारी हुआ था चूंकि मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा पुत्र राजेश कुमार शर्मा दर्ज है। इसलिए सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नाम के अनुरूप पट्टा प्राप्त करने हेतु नगरपालिका द्वारा पूर्व में जारी पट्टे को सरेंडर कर अब मुझे फ्री होल्ड पट्टा लेना आवश्यक हुआ है।
राहुल कुमार शर्मा व नाथूलाल दोनों नाम मुझसे ही संबंधित है। सूचित रहे।
प्रार्थी/भवदीय
राहुल कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा, घनश्याम दास जी की बगीची, सांभरलेक, जिला जयपुर

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित करते है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री मालचन्द जी अग्रवाल** का स्वर्गवास दिनांक 17.06.2026 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक शुक्रवार 19.06.2026 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक अग्रवाल समाज भवन सत्कार शॉपिंग सेंटर, शिवानंद मार्ग, मालवीय नगर पर होगी।
शोकाकुल- गौरीशंकर, हरिशंकर, सुरेश, श्याम सुंदर (भ्राता) राजेन्द्र प्रसाद, शिवशंकर (पुत्र) मनोज, कमल, प्रवीण, दीपक (भतीजे) एवं समस्त जोबनेरिया परिवार।

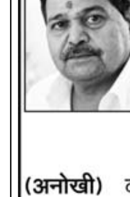

अत्यंत दुख के साथ सूचित करते है कि हमारे पूजनीय पिताजी **ठा.सा. श्री रघुवीर सिंह तंवर (अनोखी)** का स्वर्गवास दिनांक 17.06.2026 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 19.06.2026 को शाम 5.00 से 6.00 तक आन्नदम जन उपयोगी भवन संस्थान, शास्त्री नगर जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- प्रताप सिंह तंवर-बीना तंवर, भानूप्रताप सिंह तंवर-जैस्मिन कौर तंवर (पुत्र-पुत्रवधु), रितु कंवर (भतीजा-बहू), रणवीर सिंह, राजवीर सिंह, खुशी तंवर, दीया तंवर (पौत्र, पौत्री) फर्म- आर.के. एन्टरप्राईजेज

खोया पाया

मेरे भूखण्ड सं. सी-4/172 जे.डी.ए. की योजना चित्रकूट योजना जयपुर का पंजीकृत जे.डी.ए. मूल पट्टा, साईट प्लान एवं संलग्न स्टाम्प पेपर और मूल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गये है जिसकी F.I.R. L.R. NO. 3000657/2025 दर्ज है। सूचित करें-विनय कुमार शर्मा मो. 9829126487, 8209616229

मेरे मकान नं. 6 GF जेडीए कॉलोनी झालाना डूंगरी, रॉयल्टी मार्ग का मूल आवंटन पत्र, झालाना डूंगरी में कहीं गिर गया है, मिलने पर सूचित करें- नीलम कौर 8741016737

मेरे प्लॉट संख्या बी/176 जेडीए स्कीम बक्सावाला जयपुर का मूल आवंटन पत्र, साइड प्लान खो गये है सूचित करें राकेश कुमार सैनी-9414047899

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम विदित पंकज चौधरी से बदलकर विदित चौधरी पुत्र श्री पंकज चौधरी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पता-फ्लैट नं. 201 फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर 176, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर

मैं विशाल कुमार पुत्र कमलेश कुमार, मेरी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी माता का नाम मनीषा देवी दर्ज है जो गलत है उनका सही नाम मनसा देवी है भविष्य में इसी नाम का उपयोग करें 28 सुमेर नगर मानसरोवर जयपुर

मैंने अपना नाम जितेन्द्र कुमार आर्य से बदलकर जितेन्द्र आर्य रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। ए-7, सहयोग अपार्टमेंट टॉवर-2, सहयोग मार्ग विद्याधर नगर, जयपुर

मैंने मेरा नाम रंजन से बदलकर राम मुरत रख लिया है भविष्य में मुझे राम मुरत से ही जाना जावें। पता सर्वे नम्बर 52 संजय नगर भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर जयपुर

I have changed my name from RUKKAYA BEGUM TO RUKEYA BEGAM for all purposes R/o 4360 Topkhane ka rasta Ek minar ki masjid Kayam khani mohalla Jaipur.

एच.एम.ए.प्र.क्र. 1065/2023
पेशी दिनांक- 24.07.2026
समक्षः न्यायालय श्रीमान द्वितीय प्रधान न्यायाधीश महोदय कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर (श्री सुरेश कुमार चौबे साहब)
अनीता कनाडे पति हेमराज जैन आयु 33 वर्ष, निवासी फ्लेट नं. 102 दीपशिखा अपार्टमेंट 75, पदमालय कॉलोनी इंदौर
...प्रार्थी
विरूद्ध
हेमराज जैन पिता गुलाब चन्द जैन आयु 51 वर्ष पता सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर सेक्टर 11 सांगानेर जयपुर (राज.) व अन्य पता-10/2 कृष्णा अपार्टमेंट प्रताप नगर जयपुर (राज.)
...प्रतिप्रार्थी
प्रार्थी अनीता कनाडे द्वारा हेमराज जैन पिता गुलाब चन्द जैन के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13(1)(A) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। जिस हेतु आपको दिनांक 24.07.2026 को दिन के 11 बजे दावे में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाता है।
आप नियम दिनांक को इस न्यायालय में स्वयं हाजिर/उपसंजात रहे। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप इस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सभी दस्तावेज जो कि आपके कब्जे या शक्ति में हो पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो।
यदि किसी कारणवश उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हो या न्यायालय का पद रिक्त होने की दशा में आगामी नियत दिनांक की जानकारी न्यायालय के रिडर/निष्पादक लिपिक से प्राप्त करें और किसी कारणवश उक्त नियत दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले दिन की जावेगी।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई दिनांक 24.07.2026 को इस न्यायालय में हाजिर (उप-संजात) नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई तथा उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह समंस/नोटिस आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।
इन्दौर — सुरेश कुमार चौबे
दिनांक-14.5.2026 — द्वितीय अतिरिक्त प्रवान न्यायाधीश
मोहर अदालत — कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा (कोटपूतली-बहरोड)
नवोदय स्कूल के पास पावटा-303106 राज.
Email.Id: Nagarpalikapaotapragpura@gmail.com
क्रमांक-न.पा.पाव.प्रा./2026-27/भूमि/457 — दिनांक-18.06.2026
आपत्ती आमंत्रण सूचना
निम्न आवेदक ने नगरपालिका कार्यालय में 69-क/स्टेट ग्रांट/कृषि भूमि नियमन पट्टा पत्रावली प्रस्तुत की है, उक्त पत्रावली में किसी को कोई आपत्ती हो तो 07 कार्य दिवस में नगरपालिका कार्यालय में आपत्ती प्रस्तुत करें अन्यथा पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	खसरा संख्या	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	प्रयोजनार्थ
1	श्री रामेश्वर प्रसाद यादव पुत्र श्री बालूराम यादव	236	कुनेड	246.12	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा